INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL

ISSN: 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 11 | ISSUE - 3 | APRIL – 2021

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकारों के बदलते आयाम

डॉ. मनीष कुमार साव
सहायक प्राध्यापक– राजनीतिविज्ञान
शास.एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा (छ.ग.)

संदर्भ :–

संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) द्वारा वर्ष 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights- UDHR) को अपनाए जाने की स्मृति में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर के दिन को अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। UDHR मानवधिकारों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होने के साथ ही इस क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है। यह उन अविच्छेद अधिकारों की घोषणा करता है, जिन्हे हर किसी को एक मनुष्य होने के नाते बगैर उनकी जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा राजनीतिक या अन्य विचारधारा, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या किसी अन्य स्थिति के भेदभाव के प्राप्त करने का हक है। यह दिन UDHR के मूलभूत योगदान के साथ मानव अधिकारों की अविच्छेदता और सार्वभौमिकता के महत्व को भी रेखांकित करता है। हालाँकि वर्तमान में विश्व भर में (विशेषकर विकासशील देशों में) मानवाधिकारों की अवधारणा और इसकी सार्वभौमिकता को पूरी तरह प्राप्त नही किया जा सका है। इसके अतिरिक्त COVID-19 महामारी ने गरीबी, संरचनात्मक भेदभाव में वृद्धि के साथ–साथ अधिकारों के संरक्षण में बाधक अन्य असमानताओं को अधिक गहरा कर दिया है। अतः वर्तमान में मानवाधिकारों की परिभाषा और इनके संरक्षण के प्रावधानों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

मानव अधिकारों का विकास :–

नागरिक और राजनीतिक अधिकार (पहली पीढ़ी के अधिकार)

इन अधिकारों का उदय सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी के दौरान कुछ सिद्धांतों के रूप में हुआ और इनमें से ज्यादातर राजनीतिक चिंताओं पर आधारित थे। इन अधिकारों के दो केंद्रीय विचार थे 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य (State) की निरंकुशता से लोगों की रक्षा'।नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम (ICCPR) में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का वर्णन किया गया है।

सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार (दूसरी पीढ़ी के अधिकार) :–

ये अधिकार लोगों के साथ रहने, काम करने और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित हैं। ये अधिकार समानता के विचारों और आवश्यकता सामाजिक, आर्थिक, वस्तुओं, सेवाओं एवं अवसरों तक पहुँच की गारंटी पर आधारित है। ये औद्योगीकरण की शुरूआत और श्रमिक–वर्ग के उदय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के विषय बन गए। इन अधिकारों ने जीवन की गरिमा के मायने को लेकर नए विचारों और मांग का मार्ग प्रसस्त किया।

'आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा–पत्र' (ICESCR)में इन अधिकारों को रेखांकित किया गया है।

तीसरी पीढ़ी के अधिकार – 'एकजुटता के अधिकार' से उठी चुनौतियाँ

1} व्यक्तिगत उन्मुखता :– कुछ विशेषज्ञ इन अधिकारों के विचार के खिलाफ है, क्योकि ये अधिकार सामूहिक है। (समुदायों पर पूरे राज्य द्वारा धारण किये जाने के अर्थ में)। उनका तर्क है कि मानवाधिकार आंतरिक रूप से व्यक्तिगत है या केवल व्यक्तियों द्वारा ही धारण किये जा सकते है।

2} उत्तरदायित्वः– चूँकि तीसरी पीढ़ी के अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व राज्य (State) का न होकर अंतर्राष्ट्रीय का है, ऐसे में इनके प्रति जवाबदेही की गारंटी देना असंभव है।

3} कोविड–19 महामारी के बाद विश्व में मानवाधिकारों के मुद्दे को वैश्विक व्यवस्था के केन्द्र में रखा जाना चाहिये। इस संदर्भ में मानवाधिकारों में वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप नए सुधारों को शामिल करने के लिये इसका विकास और विस्तार किया जाना चाहिये। इनमें से कुछ सुधार निम्नलिखित है–

सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना – कोविड–19 महामारी ने जहॉ समाज के सभी वर्गो के लिये आर्थिक चुनौतियों का जन्म दिया है, वही इसके कारण समाज में संरचनात्मक भेदभाव और नस्लवाद को बढ़ावा मिला है। ऐसे में कोविड–19 महामारी के बाद समानता और गैर–भेदभाव विश्व की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक होंगें।

असमानता से निपटना :–

इस महामारी से उबरने के साथ–साथ असमानता की चुनौती से निपटना बहुत आवश्यक है। इसके लिये देशों को व्यापक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को बढ़ावा देना चाहिये और उनकी रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा उन्हे UDHR के दायरे में भी लाना चाहिए।

भागीदारी और एकजुटता को प्रोत्साहित करना– मानवाधिकारों की रक्षा के लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि समाज के विभिन्न वर्गो और क्षेत्रों से आने वाले लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए तथा उन्हे अपने अधिकारों के लिये खड़े होने के साथ ही दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाए। कोविड–19 महामारी के बाद वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिये एक बेहतर विश्व के निर्माण में व्यक्तियों से लेकर सरकारों तक, सिविल सोसायटी और जमीनी स्तर के समुदायों से लेकर निजी क्षेत्र तक हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

सतत् विकास को बढ़ावाः–

मानवाधिकार सभी सतत् लक्ष्यों (SDG) पर होने वाली प्रगति से प्रेरित है और (SDGs) मानवाधिकारों की प्रगति से। ऐसे में मानवाधिकार, एस.डी.जी. एजेंडा (SDG-2030) और पेरिस समझौते को इस महामारी के दुष्प्रभावों से उबरने की नीतियों के लिये आधारशिला के रूप में अपनाया जाना चाहिये ताकि समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति इसमें पीछे न रह जाए।

निष्कर्ष :–

वर्तमान में समाज मे व्याप्त भेदभाव सहित अन्य बाधाओं को दूर करते हुए मानवाधिकारों को बढ़ावा देकर इस महामारी से पूरी तरह से उबरकर, एक बेहतर, अधिक लचीले, न्यायसंगत और टिकाऊ विश्व की स्थापना की जा सकती है।

संदर्भ सूचीः–

1} द हिन्दु 12 दिसम्बर 2020
2} बसु दुर्गादास (2001) 'भारत का संविधान एक परिचय'बाघवन एण्ड कम्पनी दिल्ली
3} 'प्रिंसपल्स एण्ड थ्योरिज ऑफ ह्यूमन राईट्स' भारतीय मानव अधिकार संस्थान, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित

4} 'आर्गेनाइजेशन्स रिलेटेड टू ह्यूमन राईट्स', भारतीय मानव अधिकार संस्थान नई दिल्ली।
5} वीथम डेविड, बायले केविन, 'लोकतंत्र' नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली 1995
6} कपूर एस.के. मानव अधिकार सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद (2011)
7} अग्रवाल आर.सी., 'राजनीतिशास्त्र के सिद्धांत' 'एस. चांद एण्ड कम्पनी 2011'